डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 — 60/2024

अनवान : —

1. रामनिवास पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी त0 भादरा।
2. सुमित्रा पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी त0 भादरा।
3. कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी त0 भादरा।
4. रविन्द्र पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. फुली पत्नी मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी त0 भादरा।
2. सावित्रीदेवी पुत्री मनफुल उर्फ फुलाराम पत्नी जयवीर जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी हाल निवासी कुवांरी त0 हासी जिला हिसार।
3. विधादेवी पुत्री मनफुल उर्फ फुलाराम पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी हाल निवासी कुवांरी त0 हारी जिला हिसार।
4. राजबाला पुत्री सुरेन्द्र पत्नी जगतपाल जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी हाल ललाना त0 नोहर।
5. पूनम पुत्री सुरेन्द्र पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी हाल ललाना त0 नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 95/40 की कुल 3.542है0 में फुलाराम पुत्र जीसुखराम का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 1 को 0.5445है0, वादी सं0 2 ता 4 एवं प्रतिवादीगण सं0 4—5 संयुक्त रूप से 0.545है0 तथा प्रतिवादी सं0 2—3 संयुक्त रूप से 3.915है0 के खातेदार एवं चक 5 बारानी के खाता सं0 56/56 की 4.4070है0 में प्रतिवादीया सं0 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 रामनिवास 2597/12035 हिस्सा वादीया स0 2 सुमित्रा 4796/60175 हिस्सा वादी सं0 3 कुलदीप 15587/120350 हिस्सा वादी सं0 4 रविन्द्र 15587/120350 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 राजबाला 4796/60175 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 पूनम 4796/60175 हिस्सा एवं इसी प्रकार रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता सं0 57/61 की कुल 3.542है0 में प्रतिवादी सं0 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 रामनिवास को 3/10 हिस्सा वादीया सं0 2 सुमित्रा को 2/25 हिस्सा वादीगण सं0 3 कुलदीप 13/100 हिस्सा वादी सं0 4 रविन्द्र 13/100 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 राजबाला 2/25 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 पूनम 2/25 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अलावा शेष खाता बदस्तुर रहे। चूंकि प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 4—5 के पक्ष में त्याग किया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर इन्तकाल खोला जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:33:01 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/1/25...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 60
/2024

अनवान : —

1. रामनिवास पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी त0 भादरा।
2. सुमित्रा पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी त0 भादरा।
3. कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी त0 भादरा।
4. रविन्द्र पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. फुली पत्नी मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी त0 भादरा।
2. सावित्रीदेवी पुत्री मनफुल उर्फ फुलाराम पत्नी जयवीर जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी हाल निवासी कुवांरी त0 हारसी जिला हिसार।
3. विधादेवी पुत्री मनफुल उर्फ फुलाराम पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी हाल निवासी कुवांरी त0 हारसी जिला हिसार।
4. राजबाला पुत्री सुरेन्द्र पत्नी जगतपाल जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी हाल ललाना त0 नोहर।
5. पूनम पुत्री सुरेन्द्र पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी गांव चिड़ियागांधी हाल ललाना त0 नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री पवन सिहाग वादी
श्री रामचन्द्र बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 बारानी के खाता सं0 56/56 की कुल 4.4070है0 एवं चक 4 बारानी के खाता सं0 57/61 की कुल 3.542है0 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा अनुसार तथा रोही मौजा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 95/40 की कुल 10.1070है0 वादीगण के पिता/दादा फुलाराम पुत्र जीसुखराम के नाम 556/1123 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रीति रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। उक्त वाद भूमि में दर्ज फुलाराम पुत्र जीसुखराम वादी सं0 1 के पिता एवं वादी सं0 3—4 के दादा है जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उपरोक्त वर्णित वाद भूमि चक 5 बारानी एवं चक 4 बारानी की खातेदारी अधिकार एवं प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है जबकि चक 9 एसडीआर में वर्तमान में भी वादी सं0 1 के पिता का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण अपने हक हिस्सा की घोषणा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:53:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे सही होना स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्यवादी में वादीया उपासना पंघाल ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदीया चक 1 बीएचपी व चक 2 केआरपी प्रदर्श 1 व 2 , मृत्यु प्रमाण पत्र मुकुल प्रदर्श 3ए मृत्यु प्रमाण पत्र अशोक कुमार प्रदर्श 4ए मृत्यु प्रमाण पत्र माता दर्शना बैनीवाल प्रदर्श 5 ए एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि रोही मौजा चक 5 बारानी के खाता सं0 56/56 की कुल 4.4070है0 एवं चक 4 बारानी के खाता सं0 57/61 की कुल 3.542है0 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा अनुसार तथा रोही मौजा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 95/40 की कुल 10.1070है0 खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मुताबिक राजीनामा पत्रावली को डीकी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने वाद भूमि रोही मौजा चक 5 बारानी के खाता सं0 56/56 की कुल 4.4070है0 एवं चक 4 बारानी के खाता सं0 57/61 की कुल 3.542है0 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा अनुसार तथा रोही मौजा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 95/40 की कुल 10.1070है0 में अपने हको की घोषणा चाही है। मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा, चक 9 एसडीआर के खाता सं0 95/40 की कुल 3.542है0 में फुलाराम पुत्र जीसुखराम का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 1 को 0.5445है0, वादी सं0 2 ता 4 एवं प्रतिवादीगण सं0 4–5 संयुक्त रूप से 0.545है0 तथा प्रतिवादी सं0 2–3 संयुक्त रूप से 3.915है0 के खातेदार एवं चक 5 बारानी के खाता सं0 56/56 की 4.4070है0 में प्रतिवादीया सं0 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 रामनिवास 2597/12035 हिस्सा वादीया स0 2 सुमित्रा 4796/60175 हिस्सा वादी सं0 3 कुलदीप 15587/120350 हिस्सा वादी सं0 4 रविन्द्र 15587/120350 हिस्सा प्रतिवादी [illegible]बाला 4796/60175 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 पूनम 4796/60175 हिस्सा एवं इसी प्र[illegible] मौजा चक 4 बारानी के खाता सं0 57/61 की कुल 3.542है0 में प्रतिवा[illegible]जन किया जाकर वादी सं0 1 रामनिवास को 3/10 हिस्सा वादीया सं0 2 सुमित्रा को 2/25 हिस्सा वादीगण सं0 3 कुलदीप 13/100 हिस्सा वादी सं0 4 रविन्द्र 13/100 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 राजबाला 2/25 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 पूनम 2/25 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अलावा शेष खाता बदस्तुर रहे। चूंकि प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 4–5 के पक्ष में त्याग किया है अतः त्याग किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:53:01 IST
Reason: SelfAttested